

नवजात की मौत पर तीसरा नोटिस

पूर्वी दिल्ली, लोकसत्या। मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में नवजात की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को तीसरा नोटिस जारी किया है। आयोग ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगते हुए मृत नवजात की मां को दो लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग की ओर से इससे पहले सितंबर 2025 में मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए

● इहबास में नवजात की मौत का मामला, मुख्य सचिव से जवाब की मांग

मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

एनएचआरसी के अनुसार, यह मामला सितंबर 2025 में सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक बेसहारा महिला को अदालत के आदेश के बाद इहबास में भर्ती कराया गया था। महिला करीब 26 सप्ताह की गर्भवती थी। सात सितंबर



2025 को अस्पताल के वॉशरूम में उसने बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि नवजात की नाल काटने के लिए अस्पताल कर्मचारियों को क्लैंप तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद मां और नवजात को एंबुलेंस से

नजदीकी स्वामी दयानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां नवजात की मौत हो गई। एनएचआरसी ने उस समय इस घटना को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का संभावित मामला माना था।

मामले में आयोग ने सितंबर 2025 में पहला नोटिस जारी किया था। इसके बाद 28 नवंबर 2025 को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से अपेक्षित जवाब नहीं मिलने पर अब तीसरी बार नोटिस जारी किया गया है।

Health Ministry backs NMC action on work-hour violations

Zehru Nissa
Srinagar, Aug 17

The Ministry of Health and Family Welfare has informed Parliament that the National Medical Commission (NMC) has the power to take action against medical colleges and institutions violating reasonable working hour rules.

The statement came in a written reply by Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel in the Lok Sabha.

In response to questions linked to a National Human Rights Commission (NHRC) case and reports of excessive duty hours, Patel said under the Postgraduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023, NMC can take action against the medical colleges not adhering to work and rest hour rules.

In her reply, the Minister stated: "Case No

MoHFW says NMC can act against medical colleges violating PG work, rest-hour rules

PG residents report 80-100-hour weeks, raising concerns over stress and sleep deprivation

J&K resident doctors welcome clarification, call for independent audit of actual duty hours

States, UTs set duty rosters

NMC can penalise non-compliant institutions

SC case on doctors' working hours listed for hearing on Sept 17

441/90/0/2025 of National Human Rights Commission (NHRC) was referred to Ministry to submit the action taken report on a complaint dated March 17, 2025."

The matter was examined in the Ministry in consultation with National Medical Commission (NMC) and submitted the report to NHRC.

It was stated that as per regulation 5.2 (ii) of the PGMER, 2023, "All post-graduate students will work as full time resident doctors. They will work for reasonable working hours and will be provided reasonable time for rest in a day."

The NMC is empowered to take action against the concerned medical college or institution, as per specified under Regulation 9.2 of the PGMER, 2023.

Patel has also clarified the constitutional position, stating that public health and hospitals is a state subject

» See Health... on Pg-08

Health Ministry backs...

and that the respective state governments or UT administrations prescribe norms for doctors' working hours.

They are also responsible for setting service conditions and the duty rosters in the concerned institutions.

The parliamentary response also addressed the situation at R G Kar Medical College, Kolkata.

The minister said, "The incident at R G Kar Medical College, West Bengal was taken up by the Hon'ble Supreme Court of India in SMW (CrI) No 2 of 2024, wherein the court had constituted a National Task Force (NTF) to formulate recommendations for redressal of the issues regarding safety, well-being and working conditions of medical professionals. The report of NTF had been submitted to the court in November 2024."

She said that the NMC Anti-Ragging Committee had met on August 14, 2024, to discuss the various aspects of safety and working conditions of medical students and resident doctors.

As an immediate step, the NMC issued an Advisory dated August 13, 2024, to all medical colleges and institutions.

The Ministry of Health and Family Welfare and Directorate General of Health Services had also directed all Central Government hospitals and institutes, including AIIMS to ensure filing of institutional FIRs within a maximum of six hours in cases of violence against doctors and healthcare personnel.

Advisories had also been issued to states and UTs on August 23, 2024, and September 3, 2024, urging a ramp-up of security to medicos, and safer working environments, especially females.

The minister's reply is significant in view of the rising incidents of persistent complaints that postgraduate residents in several medical colleges.

The medicos have alleged that they are being made to work 80-100 hours a week.

This is far beyond what many consider reasonable. A Public Interest Litigation filed by the United Doctors' Front in the Supreme Court seeks enforcement of the Ministry's own 1992 directive limiting resident doctors' duty to 12 hours a day, and not more than 48 hours a week.

The petition had cited the National Task Force report on the mental health of medical students.

It recorded over 150 suicides in 5 years. These, as per the PIL, were largely linked to work-related stress and sleep deprivation.

The Supreme Court had recently adjourned the hearing after the Centre's counter-affidavit was not placed on record.

The case is listed for 17 September.

In J&K, resident doctors at Government Medical College Jammu, Government Medical College Srinagar and other medical colleges have welcomed the ministry's clear restatement.

Several postgraduate students described the minister's written reply as an important official acknowledgment.

"Reasonable working hours" and "reasonable time for rest", they said, are obligations on the institutions, they said.

A resident from GMC Srinagar said, "We welcome this statement. What we need now is a transparent, independent audit of actual duty hours, duty rosters and rest periods across all medical colleges in J&K. Only an audit will show how far the ground reality has drifted from the regulations."

He urged both the NMC and the J&K Health and Medical Education Department must invoke the penal provisions under Regulations 9.1 and 9.2 of the PGMER, 2023 against non-complying institutions.

तीन कामगारों की मौत मामले में मुआवजा नहीं देने पर एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को तलब किया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: राजनगर एक्सटेंशन में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना में तीन मजदूरों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के आदेश के बावजूद मृतकों के स्वजन को मुआवजा नहीं दिए जाने और अनुपालन रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से 25 सितंबर को तलब किया है। हालांकि, 11 सितंबर से पहले रिपोर्ट मिलने पर व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल जाएगी।

मामले में गाजियाबाद निवासी राजीव कुमार शर्मा ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बीते वर्ष 12 फरवरी को राजनगर एक्सटेंशन में मिशन अर्थवा के आवासीय प्रोजेक्ट की

- राजनगर एक्सटेंशन में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में बीते वर्ष 12 फरवरी को हुई थी तीन कामगारों की मौत
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पांच-पांच लाख रुपये मुआवजे के आदेश दिए थे
- पालन नहीं होने पर मुख्य सचिव को 25 सितंबर के लिए तलब किया

साइट पर काम करने के दौरान तीन कामगारों की मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने और पुलिस पर आरोपितों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। पुलिस की ओर से आयोग को बताया गया कि

मृतकों की पहचान 19 वर्षीय विवेक शर्मा, 28 वर्षीय अनिरुद्ध मंडल और 39 वर्षीय सुधीर मुंडा हैं।

हादसे के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों बालिंग थे और मृतकों के स्वजन ने लिखित रूप से मामले को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया था। आयोग ने 30 जनवरी को मृतकों के पात्र स्वजन की पहचान कर प्रत्येक को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और भुगतान का प्रमाण उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। 24 मार्च को रिमाइंडर जारी होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं मिली। इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए आदेशों की जानबूझकर अवहेलना माना और मुख्य सचिव को समन जारी किया है।

Source: <https://www.greaterkashmir.com/health/health-ministry-backs-nmc-action-on-work-hour-violations-12390622>

Health

Health Ministry backs NMC action on work-hour violations

In her reply, the Minister stated: "Case No 441/90/0/2025 of National Human Rights Commission (NHRC) was referred to Ministry to submit the action taken report on a complaint dated March 17, 2025."

by ZEHRU NISSA 18 Aug 2026 05:50 IST

Srinagar, Aug 17: The Ministry of Health and Family Welfare has informed Parliament that the National Medical Commission (NMC) has the power to take action against medical colleges and institutions violating reasonable working hour rules.

The statement came in a written reply by Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel in the Lok Sabha.

In response to questions linked to a National Human Rights Commission (NHRC) case and reports of excessive duty hours, Patel said under the Postgraduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023, NMC can take action against the medical colleges not adhering to work and rest hour rules.

In her reply, the Minister stated: "Case No 441/90/0/2025 of National Human Rights Commission (NHRC) was referred to Ministry to submit the action taken report on a complaint dated March 17, 2025."

The matter was examined in the Ministry in consultation with National Medical Commission (NMC) and submitted the report to NHRC.

It was stated that as per regulation 5.2 (ii) of the PGMER, 2023, "All post-graduate students will work as full time resident doctors. They will work for reasonable working hours and will be provided reasonable time for rest in a day."

The NMC is empowered to take action against the concerned medical college or institution, as per specified under Regulation 9.2 of the PGMER, 2023.

Patel has also clarified the constitutional position, stating that public health and hospitals is a state subject and that the respective state governments or UT administrations prescribe norms for doctors' working hours.

They are also responsible for setting service conditions and the duty rosters in the concerned institutions.

The parliamentary response also addressed the situation at R G Kar Medical College, Kolkata.

The minister said, "The incident at R G Kar Medical College, West Bengal was taken up by the Hon'ble Supreme Court of India in SMW (CrI) No 2 of 2024, wherein the court had constituted a National Task Force (NTF) to

formulate recommendations for redressal of the issues regarding safety, well-being and working conditions of medical professionals. The report of NTF had been submitted to the court in November 2024.”

She said that the NMC Anti-Ragging Committee had met on August 14, 2024, to discuss the various aspects of safety and working conditions of medical students and resident doctors.

As an immediate step, the NMC issued an Advisory dated August 13, 2024, to all medical colleges and institutions.

The Ministry of Health and Family Welfare and Directorate General of Health Services had also directed all Central Government hospitals and institutes, including AIIMS to ensure filing of institutional FIRs within a maximum of six hours in cases of violence against doctors and healthcare personnel.

Advisories had also been issued to states and UTs on August 23, 2024, and September 3, 2024, urging a ramp-up of security to medicos, and safer working environments, especially females.

The minister’s reply is significant in view of the rising incidents of persistent complaints that postgraduate residents in several medical colleges.

The medicos have alleged that they are being made to work 80-100 hours a week.

This is far beyond what many consider reasonable.

A Public Interest Litigation filed by the United Doctors’ Front in the Supreme Court seeks enforcement of the Ministry’s own 1992 directive limiting resident doctors’ duty to 12 hours a day, and not more than 48 hours a week.

The petition had cited the National Task Force report on the mental health of medical students.

It recorded over 150 suicides in 5 years. These, as per the PIL were largely linked to work-related stress and sleep deprivation.

The Supreme Court had recently adjourned the hearing after the Centre’s counter-affidavit was not placed on record.

The case is listed for 17 September.

In J&K, resident doctors at Government Medical College Jammu, Government Medical College Srinagar and other medical colleges have welcomed the ministry’s clear restatement. TravelGuides & Travelogues

Several postgraduate students described the minister’s written reply as an important official acknowledgment.

“Reasonable working hours” and “reasonable time for rest”, they said, are obligations on the institutions, they said.

A resident from GMC Srinagar said, “We welcome this statement. What we need now is a transparent, independent audit of actual duty hours, duty rosters and rest periods across all medical colleges in J&K. Only an audit will show how far the ground reality has drifted from the regulations.”

He urged both the NMC and the J&K Health and Medical Education Department must invoke the penal provisions under Regulations 9.1 and 9.2 of the PGMER, 2023 against non-complying institutions.

Source: <https://www.livelaw.in/amp/articles/certificate-not-enough-law-reassessing-disability-546016>

Home > Articles > When Certificate Is Not...

When Certificate Is Not Enough: Law On Reassessing Disability

By - Adan Fatima Update: 2026-08-17 04:30 GMT

Summary: The Bombay High Court has upheld the state's power to reassess disability certificates of government employees, but only as a one-time, evidence-based exercise, not a template for open-ended suspicion. This piece traces how Indian courts arrived at that balance and what it means for the people caught in between.

This year, twenty-one schoolteachers in Pune were abruptly sent home. Not for any wrongdoing, but because the state demanded they prove, once again, a disability that had already been officially recognized years ago. Across Maharashtra, over 700 government employees faced the same humiliating ordeal: they were summoned back to medical boards to re-validate disabilities already certified. For some, their disabilities were obvious. For others, the process meant long journeys, endless waiting, and the degrading experience of having their bodies and minds repeatedly questioned as if their disabilities were doubts to be settled, rather than facts to be accepted. This troubling situation brings to light a critical legal question in India: once the state certifies a disability, can it justifiably reopen that decision? The Bombay High Court's recent ruling attempts to balance two harsh realities: that fraud can exist, and that disabled citizens should never be forced to continually prove their identity.

How the trouble began

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, gave India its modern framework for certifying disability and reserving jobs, college seats, and welfare benefits for those who qualify. What it did not do was say whether a certificate, once issued, was final. That silence became a live problem in Maharashtra, where a state-wide audit found something troubling: in some districts, more than 90 per cent of employees claiming benefits for hearing impairment had developed the condition only after they were already in government service, often curiously around the time new disability-linked benefits were introduced. Acting on this pattern, the state ordered primary-school teachers appointed under the disability quota to undergo fresh medical examinations. The results were damning for many: disability levels well below the legal threshold of 40 per cent, and in some cases, no disability at all. The state's instinct, to protect a reservation system that genuine claimants depend on, was reasonable. However, the chosen method treated an entire category of employees as suspects, without first considering whether it was fair to the many honest individuals caught in the same net.

What the courts have said

Indian courts had already begun feeling their way toward an answer before Maharashtra's crisis reached the Bombay High Court. In *Ramprakash Kharlwa v. State of Rajasthan* earlier this year, the Rajasthan High Court's Jaipur Bench held that no law makes a disability certificate untouchable forever and that the state can order reassessment, even of employees already serving, where a certificate may have been obtained through misrepresentation or issued by someone not authorized to issue it.

However, the Allahabad High Court, in *Maaz Ahmad v. Union of India*, established clear limits on the extent of that power. A NEET aspirant with a permanent disability certified on the government's own UDID database was made to undergo a fresh medical test by a board that then tried to question his certified disability percentage. Justice Pankaj Bhatia stopped this cold. Such boards, he held, may only test whether a candidate is functionally capable of doing the course. They cannot re-decide a disability percentage that a properly authorized body has already certified. The certificate, he said, must stand.

Not every recent ruling has landed on the side of the certificate-holder, though. In *Shubham Agarwal v. Union of India*, a candidate who had cleared the 2024 Civil Services Examination under the disability quota, on the strength of a 2016 certificate citing 40 per cent hearing loss, ran into three conflicting government assessments. AIIMS found his condition treatable and not permanent; an Appellate Medical Board at the Army's Research and Referral Hospital then put the figure at nearly 68 per cent. Faced with what the Delhi High Court itself called "a difference of opinion of a high magnitude," the courts allowed a third, conclusive examination. Agarwal did not complete it, and the Supreme Court held that UPSC was under no obligation to appoint him under the disability quota. The case is a reminder that the same courts protecting certificate-holders from harassment have also insisted that a candidate cooperate fully once a genuine, documented conflict between medical boards exists, rather than treating an earlier favorable finding as untouchable.

Underlying all of this is the Supreme Court's 2021 ruling in *Vikash Kumar v. Union Public Service Commission*, which described reasonable accommodation not as a favor the state grants at its discretion but as part of the constitutional guarantee of equality itself. Disability, the Court said, is not a fixed medical label to be checked and rechecked whenever it suits the administration. It is the product of a person's impairment meeting a world that isn't built for them.

The Bombay High Court's balance

Against this backdrop, the Bombay High Court heard the petitions of the Maharashtra teachers and employees swept up in the state's verification drive. In *Santosh Hiranman Lashkare v. State of Maharashtra*, a division bench of Justices Ravindra V. Ghuge and Abhay J. Mantri chose neither of the easy paths. The Court stressed that the State is not precluded from re-examining the authenticity of a disability certificate merely because it had previously accepted it. It recognized that every employer has an inherent authority to verify the genuineness of documents relied upon for public employment. Appointment obtained on the strength of a forged disability certificate, the Court held, amounts to a fraud on the public and cannot be insulated from scrutiny. But it also refused to let the exercise become an open license for recurring suspicion. The Court approved the Maharashtra drive only as a one-time measure, tied specifically to the irregularities the state had documented, not as a template for the future. Crucially, it quashed the immediate suspensions and salary stoppages that had already been imposed, replacing them with a fairer path: a fresh, uniform examination before a specially constituted medical board, with any punitive action to follow only after that process and only through proper departmental enquiry.

Going forward, the Court held, the state must follow the procedure already written into the RPWD Act and its Rules, not informal government resolutions. It is, in effect, a judgement that trusts the state to act once, on real evidence, while refusing to let that trust become a permanent state of suspicion.

What the human rights body said

The National Human Rights Commission's Core Group on Disabilities, meeting in Delhi in January 2026 under Justice V. Ramasubramanian, took a similar view before the Bombay High Court ruled. Its sense was that any fresh verification policy should look forward, applying to new applicants, rather than reopening the files of people who had been receiving their benefits for years without incident. Scrutiny, it suggested, should follow specific, evidence-based suspicion, not a dragnet cast over every certificate-holder in the state.

What are these costs, in ordinary terms?

None of this is theoretical for the people living through it. A medical board convened on a fixed date in a distant town is a serious obstacle for someone whose disability makes travel difficult in the first place. For a person with

an intellectual disability, an unfamiliar hospital and an unfamiliar test, on a clock not of their choosing, can be frightening in ways a healthy bureaucrat might not anticipate. Commentary in the press has pointed out how these drives, however well-intentioned, can turn disabled citizens into objects of official doubt rather than people the Constitution has already promised to protect. The twenty-one teachers suspended in Pune are the clearest illustrations. Their salaries stopped not because fraud had been proven against them individually, but because the state decided, as a matter of policy, to look again at what it had already accepted.

Where the law now stands

These decisions collectively establish that the law does not serve as a blank cheque for the state nor an absolute shield for every holder of a disability certificate. Reassessment is legally permissible. The Rights of Persons with Disabilities Rules 2017 distinguish between permanent and time-bound certificates, making it clear that the possibility of revisiting a certificate was never entirely excluded. However, that power is subject to important constraints. It cannot be exercised to second-guess about a disability assessment already certified by a duly authorized UDID medical authority. Any reassessment must be conducted by the competent medical boards designated under the statutory framework, not through informal administrative directions. Nor can it be deployed as a blanket, retrospective exercise to re-examine every existing certificate. Judicial precedent suggests that only a one-time reassessment based on specific, documented grounds giving rise to a genuine suspicion of fraud or error is likely to withstand legal scrutiny.

Ultimately, the Bombay High Court's decision is less a definitive resolution of the issue than a careful delineation of constitutional and statutory limits. It recognizes that the State may revisit a disability certificate where there is a credible and specific cause to do so. What it cannot do is treat every disability certificate as perpetually provisional, reopening it whenever administrative convenience, rather than evidence, dictates. For persons with disabilities whose employment and livelihood depend upon the certainty of these certifications, this distinction is far from legal technicality. It marks the difference between a system founded on trust in lawful certification and one that presumes suspicion without justification.

Source: <https://dailypioneer.com/news/slug-lite/nhrc-issues-third-notice-to-delhi-govt-over-newborns-death-at-ihbas?year=2026>

NHRC issues third notice to Delhi Govt over newborn's death at IHBAS

August 17, 2026, By Abhinav Kumar Jha

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a third notice to the Chief Secretary of the Government of NCT of Delhi over the death of a newborn baby at the Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS). The notice was issued after the government failed to respond to two earlier communications since September 2025.

The latest notice, a show-cause notice dated June 16, 2026, was issued under Case No. 4430/30/0/2025. It directs the Chief Secretary to explain within four weeks, by July 30, 2026, why compensation of Rs two lakh should not be recommended for the mother of the deceased infant and why remedial measures suggested by an External Inquiry Committee should not be implemented.

This marks the third communication from the Commission on the matter. The NHRC had first issued a notice on September 18, 2025, followed by a reminder on November 28, 2025, after receiving no response from the Delhi government.

The Commission had earlier warned it could invoke coercive powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, to summon the Chief Secretary in person if the report was not submitted.

According to the notice, the Commission had taken suo motu cognisance of a news report published on September 10, 2025, about the death of a newborn due to alleged negligence at the hospital. The mother, a destitute woman, was admitted to IHBAS on September 4, 2025, following a court order, while 26 weeks pregnant. On September 7, 2025, she delivered the baby in the washroom of the hospital, and staff reportedly could not find a clamp to cut the umbilical cord. The mother and infant were rushed by ambulance to the nearby Swami Dayanand Hospital, where the baby died. [Magazinesubscriptions online](#)

The notice states that the Head of the Department of Psychiatry at IHBAS submitted a report by letter dated December 22, 2025, informing the Commission that an External Inquiry Committee had been constituted. The committee's report found several gaps in the treatment protocol and recommended remedial measures. However, the Commission noted that the report was silent on the question of compensation for the mother, prompting a fresh show-cause notice.

The notice was issued under the hand and seal of the Commission and signed by Joint Registrar (Law) Indrajeet Kumar. Records from the NHRC's case tracking system confirm the show cause notice as the third formal action taken in the case, following the initial notice and the reminder.

Separately, questions are being raised over delays in filling the post of Director at IHBAS. The Delhi government had advertised the vacancy, with the last date for submitting applications set as April 10, 2026. According to

reliable sources, around ten candidates from institutions across the country have applied for the position.

Source: <https://shekhawatilive.com/jhunjhunu/jhunjhunu-government-offices-rti-citizen-charter-information.html/>

Posted in Jhunjhunu News

झुंझुनूं में बड़े सरकारी दफ्तरों की खाली दीवारें पूछ रही सवाल: कहां हैं नागरिकों के अधिकार?
by News Desk and Neeraj Kumar Saini
17 अगस्त 2026

कलेक्टर से नगर परिषद और जिला परिषद तक RTI व नागरिक चार्टर की जानकारी का अभाव, NHRC की हिदायत के बावजूद हालात जस के तस

आदेश हुए, निर्देश हुए... फिर भी दीवारें खाली: झुंझुनूं में नागरिक अधिकारों पर प्रशासन बेखबर!

झुंझुनूं। सरकारी कार्यालयों में आमजन को उसके अधिकारों और सरकारी सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नागरिक चार्टर और सूचना का अधिकार (RTI) से जुड़ी सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन पारदर्शी प्रशासन की बुनियादी व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन झुंझुनूं जिला मुख्यालय के ही कई प्रमुख सरकारी कार्यालयों में इन सूचनाओं का समुचित प्रदर्शन नहीं होने का मामला सामने आया है। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल के झुंझुनूं दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में भी सरकारी कार्यालयों में आमजन को जरूरी अधिकार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। जुलाई 2025 में बालकृष्ण गोयल के झुंझुनूं दौरे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए थे लेकिन एक साल बीत जाने पर भी झुंझुनूं जिला प्रशासन की चीर निद्रा अभी तक नहीं टूटी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मीडिया मॉनिटरिंग में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गोयल ने अधिकारियों को मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में गंभीरता बरतने की चेतावनी दी थी और कहा था कि झुंझुनूं अब आयोग की निगरानी में रहेगा। स्थानीय रिपोर्ट में भी सरकारी कार्यालयों में RTI और सिटीजन चार्टर के प्रदर्शन का मुद्दा उठाए जाने का उल्लेख है।

जिला मुख्यालय के बड़े कार्यालयों में ही व्यवस्था अधूरी

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय झुंझुनूं, नगर परिषद झुंझुनूं, जिला परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में नागरिक चार्टर और RTI से संबंधित आवश्यक जानकारी आमजन को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर अंकित नहीं होने की बात सामने आई है। सवाल खड़ा होता है कि सरकार की आंख, नाक, कान कहे जाने वाला विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ऊपर आम जनता तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है लेकिन इसी कार्यालय की खाली पड़ी हुई दीवारें दिशा निर्देशों की और सरकारी अधिकारियों की कार्य शैली पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। यह स्थिति केवल किसी सूचना-पट्ट के खाली होने का मामला नहीं है। सरकारी कार्यालय में आने वाला आम नागरिक यह जानने का हकदार है कि उसे कौन-कौन सी सेवाएं मिलनी हैं, संबंधित सेवा की समय-सीमा क्या है, आवेदन कहां करना है, संबंधित अधिकारी कौन है, शिकायत या अपील की स्थिति में किस अधिकारी से संपर्क करना है और सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए लोक सूचना अधिकारी कौन है।

जब जिला मुख्यालय के प्रमुख कार्यालयों में ही यह जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो उपखंड, तहसील और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालयों में आमजन को कितनी पारदर्शिता और सुविधा मिल रही होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

नागरिक चार्टर आखिर है क्या?

नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सरकारी विभाग और आम नागरिक के बीच सेवा संबंधी जवाबदेही को स्पष्ट करना है। इसमें विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा, संबंधित अधिकारी तथा शिकायत और अपील की व्यवस्था जैसी जानकारियां दी जाती हैं। जानकारों का मानना है कि राजस्थान में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 लागू है। इस कानून का उद्देश्य निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। अधिनियम में संबंधित सेवाओं के लिए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत बनाए गए नियमों में व्यवस्था और भी स्पष्ट है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम, 2011 के नियम 7 के अनुसार पदाभिहित अधिकारी को आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक

जानकारी कार्यालय के प्रमुख एवं आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर लगाए गए सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करवानी होती है। इसमें अधिसूचित सेवाओं से संबंधित जरूरी जानकारी और आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी शामिल है। अर्थात् सरकारी सेवा के संबंध में जानकारी केवल फाइलों या अधिकारी के कमरे तक सीमित रखने के बजाय उसे आम नागरिक की पहुंच में रखना व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

RTI में भी स्वप्रेरित सूचना देने की जिम्मेदारी

जानकारों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 सरकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और स्वप्रेरित सूचना प्रकटीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। धारा 4(1)(b) के तहत लोक प्राधिकरण को संगठन, कार्य एवं कर्तव्य, अधिकारियों की शक्तियां और जिम्मेदारियां, निर्णय लेने की प्रक्रिया, लागू नियम, दस्तावेजों की श्रेणियां, अधिकारियों-कर्मचारियों की निर्देशिका, बजट, योजनाएं और नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं सहित कई प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करनी होती हैं। इनमें लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण भी शामिल हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 4(3) और 4(4) के अनुसार ऐसी सूचनाओं का व्यापक प्रसार होना चाहिए और उन्हें ऐसी पद्धति से उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे जनता को आसानी से जानकारी मिल सके। कानून में सूचना के प्रसार के माध्यमों में नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, सार्वजनिक घोषणाएं, मीडिया, इंटरनेट तथा संबंधित कार्यालय का निरीक्षण तक शामिल किया गया है। इसलिए RTI के मामले में केवल वेबसाइट पर जानकारी डाल देना ही पारदर्शिता का अंतिम आधार नहीं माना जा सकता। कार्यालय स्तर पर भी नागरिकों के लिए आवश्यक जानकारी को सहज और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराना धारा 4 की भावना के अनुरूप है।

कौन-कौन सी RTI जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए?

किसी सरकारी कार्यालय में RTI से संबंधित सूचना को नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराते समय कम से कम यह जानकारी प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए कि –

संबंधित कार्यालय का लोक सूचना अधिकारी कौन है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, जहां लागू हो, कौन है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कौन है।

RTI आवेदन किस अधिकारी के पास और किस पते पर दिया जा सकता है।

आवेदन और अपील की प्रक्रिया क्या है।

धारा 4(1)(b) के तहत कार्यालय द्वारा स्वप्रेरित रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचनाएं कहां उपलब्ध हैं।

नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए किन सुविधाओं और माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग अपने RTI पेजों पर लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के विवरण प्रकाशित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर विधि एवं विधिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर RTI अधिनियम, नियम और लोक सूचना अधिकारियों की सूची उपलब्ध है, जबकि अन्य विभाग धारा 4(1)(b) के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण भी प्रकाशित कर रहे हैं।

पारदर्शिता का दावा, लेकिन सूचना पट्ट गायब

सरकारी कार्यालयों में नागरिक चार्टर और RTI संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने का मकसद महज औपचारिकता पूरी करना नहीं है। इसका सीधा संबंध प्रशासन की जवाबदेही से है। जब किसी नागरिक को सरकारी सेवा के लिए कार्यालय में जाना पड़े तो उसे यह पता होना चाहिए कि उसका काम कौन करेगा और कितने समय में करेगा। इसी तरह RTI के माध्यम से सूचना मांगने वाले नागरिक को यह पता होना चाहिए कि आवेदन किस अधिकारी के पास देना है और अपील की स्थिति में अगला अधिकारी कौन है। यदि यह जानकारी कार्यालय की दीवार या सूचना-पट्ट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है तो आम नागरिक को अनावश्यक रूप से कर्मचारियों और अधिकारियों से जानकारी जुटानी पड़ती है। इससे पारदर्शिता और नागरिक सुविधा दोनों प्रभावित होती हैं।

मानवाधिकारों से भी जुड़ा है सूचना तक आसान पहुंच का सवाल

सूचना तक आसान पहुंच केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं है। सरकारी योजनाओं, सेवाओं, शिकायत निवारण, अधिकारियों की जिम्मेदारी और अधिकारों की जानकारी नागरिक को अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। यही वजह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। झुंझुनूं दौरे के दौरान NHRC के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा था कि जिले में भविष्य में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत आने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। ऐसे में यदि उनके दौरे के बाद भी सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकारी सेवाओं की बुनियादी जानकारी देने वाली व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई हैं, तो यह प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा का विषय बनता है।

सवाल अब जिला प्रशासन से

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजस्थान में लोक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के लिए कानून और नियम मौजूद हैं तथा RTI अधिनियम की धारा 4

सरकारी संस्थाओं पर स्वप्रेरित सूचना प्रकटीकरण की जिम्मेदारी डालती है, तो जिला मुख्यालय के प्रमुख कार्यालयों में इन प्रावधानों की जमीनी स्थिति क्या है?

क्या जिला प्रशासन ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण कर यह सत्यापित किया है कि वहां नागरिक चार्टर, अधिसूचित सेवाओं, सेवा की समय-सीमा, पदाभिहित अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की जानकारी आमजन को आसानी से दिखाई दे रही है?

क्या मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर के दौरे के बाद इस संबंध में कोई अनुपालन रिपोर्ट तैयार हुई? यदि हुई तो किन-किन कार्यालयों ने इसका पालन किया और किन कार्यालयों को अब तक निर्देश जारी किए गए?

इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि जवाबदेह प्रशासन केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उन आदेशों और कानूनों को आम नागरिक की आंखों के सामने लागू करने से दिखाई देता है।

अब कार्रवाई की जरूरत

जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड, तहसील और ग्रामीण स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों का भौतिक सत्यापन करवाए। प्रत्येक कार्यालय में प्रमुख स्थान पर नागरिक चार्टर, अधिसूचित सेवाओं और समय-सीमा से संबंधित सूचना-पट्ट तथा RTI के तहत लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करवाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदर्शित जानकारी पुरानी न हो और अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद उसे तत्काल अपडेट किया जाए। विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और कार्यालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित जानकारी में भी समानता हो।

आमजन को अपने अधिकारों की जानकारी देना प्रशासन की मेहरबानी नहीं, बल्कि पारदर्शी और जवाबदेह शासन की बुनियादी शर्त है। झुंझुनूं में अब देखना यह होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई करता है या वास्तव में प्रत्येक सरकारी कार्यालय की दीवार पर नागरिक के अधिकारों की जानकारी दिखाई देती है।

“नोटिस बोर्ड हैं, जानकारी नहीं”

क्लेक्टर कार्यालय जिले के प्रशासन का सबसे बड़ा केंद्र होता है, जहां से शासन की नीतियां और आमजन से जुड़ी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। ऐसे में इसी कार्यालय के बाहर नागरिकों के अधिकारों और प्रशासन की जवाबदेही से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना सबसे जरूरी है। लेकिन झुंझुनूं क्लेक्टर कार्यालय की पड़ताल में तस्वीर कुछ अलग नजर आई। कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड तो लगे मिले, लेकिन कई बोर्ड खाली नजर आए। इनमें न तो सिटीजन चार्टर की जानकारी थी और न ही सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित जरूरी विवरण।

हालांकि पूरी तस्वीर एकतरफा नहीं थी। कुछ प्रकोष्ठों को छोड़कर विभिन्न शाखाओं और विभागों के बाहर वहां होने वाले कार्यों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित मिली। यानी विभागीय कामकाज की कुछ सूचनाएं जनता के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन नागरिकों को उनके अधिकार, RTI के तहत सूचना मांगने की प्रक्रिया बताने वाली अहम जानकारी का अभाव साफ दिखाई दिया।

विडंबना यह है कि जिस कार्यालय से पूरे जिले के प्रशासन को पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश जाना चाहिए, उसी के बाहर जनता को अपने अधिकारों की जानकारी देने वाला सूचना-पट्ट ही अधूरा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब जिला प्रशासन के मुख्यालय में ही नागरिक चार्टर और RTI की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं है, तो अधीनस्थ कार्यालयों में आमजन की सूचना और अधिकारों तक पहुंच की स्थिति क्या होगी?

जिस दीवार पर अधिकार लिखे होने चाहिए, वहां सन्नाटा! झुंझुनूं के सरकारी दफ्तरों में RTI-सिटीजन चार्टर गायब

स्थानीय लोगों ने बताया कि झुंझुनूं नगर परिषद की इस दीवार पर कभी लगी होती थी सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी अब नदारद, हालांकि दूसरी दीवार पर ऑनलाइन होने वाले कामों की लगाई गई है लिस्ट

झुंझुनूं जिला परिषद में सिटीजन चार्टर और सूचना का अधिकार की जानकारी गायब, हालांकि कोरोना काल का लगाया गया नोटिस “बिना मास्क प्रवेश वर्जित है” आज भी लगा हुआ है

उपखंड अधिकारी कार्यालय झुंझुनूं सिटीजन चार्टर और सूचना का अधिकार गायब, हालांकि उपखंड अधिकारी के दफ्तर के सामने दीवार पर अंकित है इस कार्यालय में शिकायतों और परिवादों की रसीद दी जाती है और शपथ पत्र बंद करने की व्यवस्था से संबंधित जानकारी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झुंझुनूं के कार्यालय के बाहर खाली पड़ी दीवारें बयान कर रही है सरकार के आंख नाक कान विभाग की दास्तान, हालांकि पुरानी बंद बिल्डिंग के बाहर सूचना अंकित है कि इस कार्यालय में रसीद देने की व्यवस्था है।

Source: <https://deshajtimes.com/news/bihar/madhubani/madhubani-jail-prisoner-death-police-clarifies-nhrc-judicial-probe/304920/>

Madhubani News मधुबनी जेल में कैदी की मौत: पुलिस ने दिया चौकाने वाला बयान, जांच से खुलेगा राज?

Madhubani News: मधुबनी मंडल कारा में रौशन यादव की मौत के बाद जिला पुलिस ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी जांच से खुलेगा राज, परिजनों को मिलेगा न्याय?

अगस्त 17, 2026 By Deshaj Times

Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडल कारा, रामपट्टी में बंद रौशन कुमार यादव की अचेत अवस्था में पाए जाने के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जिला पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जांच प्रक्रियाओं की जानकारी दी है। यह घटना 10 अगस्त 2026 को मंडल कारा के भीतर हुई थी, जिसकी सूचना तुरंत जेल अधीक्षक को मिली थी।

जेल अधीक्षक को सूचना मिलने के तुरंत बाद, मंडल कारा, रामपट्टी के कर्मचारियों द्वारा कैदी रौशन कुमार यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेजा गया। हालांकि, डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जिला पदाधिकारी के आदेश पर नियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

कैदी की मौत पर मधुबनी पुलिस का स्पष्टीकरण

मधुबनी पुलिस ने इस घटना पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि मंडल कारा के भीतर हुई इस घटना में जिला पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। जेल के अंदर केवल कारा प्रशासन के कर्मी मौजूद रहते हैं, जिला पुलिस नहीं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया है। घटना के 24 घंटे के भीतर NHRC को रिपोर्ट भेज दी गई थी और अब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है।

मृतक रौशन कुमार यादव का पोस्टमार्टम तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया गया था। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना के सभी पहलुओं को समझा जा सके।

NHRC और न्यायिक जांच का दायरा

इस मामले में राजनगर थाना में जेल अधीक्षक के लिखित आवेदन पर 11 अगस्त 2026 को यूडी कांड संख्या 13/26 दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण जांच पूरी होने के बाद, जांच रिपोर्ट नियमानुसार NHRC के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो और पारदर्शिता बनी रहे।

रौशन कुमार यादव को 2 जून 2026 को रहिका थाना कांड संख्या 147/26, धारा 125 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और 3 जून 2026 को उन्हें जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 48 के तहत रौशन कुमार यादव की माता को उनकी गिरफ्तारी की लिखित जानकारी दी गई थी। गिरफ्तारी के समय पीएचसी रहिका के चिकित्सक द्वारा रौशन कुमार यादव को चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था।

रौशन यादव का आपराधिक इतिहास

यह उल्लेखनीय है कि रौशन कुमार यादव को जेल भेजे जाने के 67 दिनों बाद यह दुखद घटना मंडल कारा में हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक रौशन कुमार यादव पर कुल पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं।

क्र.सं. थाना कांड संख्या दिनांक धाराएं

01. केवटी थाना (दरभंगा) 174/25 10.07.2025 303 (2) BNS

02. औसी थाना 44/25 12.07.2025 303 (2) BNS

03. रहिका थाना	134/26	25.05.2026	109 (1) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट
04. रहिका थाना	141/26	28.05.2026	126 (2) / 109 (1) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट
05. रहिका थाना	147/26	02.06.2026	125 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट

फिलहाल, पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद ही कैदी रौशन कुमार यादव की मौत के कारणों का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच का आश्वासन दे रहा है।

Source: <https://www.hindusthanpost.com/special/nhrc-slams-punjab-government-serious-concern-over-failure-to-hoist-tricolour-in-border-area-schools/>

Punjab सरकार पर NHRC का बड़ा हमला : बॉर्डर क्षेत्र के स्कूलों में तिरंगा न फहरा ने पर जताई गंभीर चिंता !
August 17, 2026

Punjab में पाकिस्तान सीमा से सटे कुछ गांवों में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाए जाने के दावे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सीमावर्ती इलाकों के कुछ स्कूलों और पंचायतों में 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराए जाने और राष्ट्रगान नहीं गाए जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनके इस दावे के बाद पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

देशभर में शनिवार, 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, यों स्कूलों, लों पंचायतों और सार्वजनिक संस्थानों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। ऐसे में पंजाब के पाकिस्तान सीमा से लगे गांवों को लेकर सामने आए दावे ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है।

प्रियंक कानूनगो ने जताई नाराजगी

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नेहरो नेदावा किया कि पाकिस्तान से लगी पंजाब की सीमा के पास स्थित कुछ गांवों के स्कूलों और पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया। उनके अनुसार, कुछ स्थानों पर न तो तिरंगा फहराया गया और न ही राष्ट्रगान हुआ।

कानूनगो ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नेहरो नेपूछा कि पाकिस्तान की सीमा के नजदीक स्थित गांवों में राष्ट्रीय पर्व के आयोजन को लेकर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई।

उन्होंने नेहरो नेइसे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा संवेदनशील विषय बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और यह स्पष्ट होना बाकी है कि किन गांवों, यों स्कूलों या पंचायतों में कथित तौर पर कार्यक्रम नहीं हुए।

देशभर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

वहीं, ही देश के अन्य हिस्सों में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम समेत कई राज्यों में सरकारी संस्थानों, यों स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण किया गया।

कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया गया और युवाओं से देश के विकास में योगदान देने की अपील की गई। ऐसे में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों को लेकर NHRC सदस्य के दावे ने राष्ट्रीय पर्व के आयोजन और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है।